न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2017 – निगरानी

श्री रामनारायण पुत्र मोहनलाल पारीक निवासी हाजीवास, कोटडी तहसील कोटडी

–निगराकार

बनाम

1. शिव कुमार पुत्र रामनारायण पारीक निवासी हाजीवास, कोटडी
2. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी
3. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सचिव ग्राम पंचायत कोटडी तहसील कोटडी

–गैर निगराकारान

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पटटा सं. 42 दिनांक 20.07.2004 मिसल सं. 61/2060 दिनांक 22.06.2004

उपस्थित –

1. श्री दिनेश मण्डोवरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित शर्मा, कोशल जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15/10/.2019

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2004 पटटा संख्या 42 पत्रावली संख्या 61/2060 दिनांक 22.06.2004 ग्राम पंचायत कोटडी जिला भीलवाडा के संबंध में प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पंचायत कोटडी के तत्समय सरपंच, सचिव द्वारा गैर निगरकार संख्या 01 से मिलीभगत कर पट्टा संख्या 42, दिनांक 20.07.2004 आबादी हल्का कोटडी ग्राम पंचायत कोटडी जिला भीलवाडा की जायदाद नपती 20 बाई 12 फीट की जिसके पडौस पूर्व में खाली तलिया, पश्चिम में आम सडक, उत्तर में शंकर तेली की दुकान, दक्षिण में प्रेमदास वैष्णव की दुकान है, का जारी कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। निगराकार के स्वामित्व आधिपत्य की एक जायदाद दुकान वाके आबादी हल्का कोटडी में स्थित है, जिसकी नपती 20 बाई 12 फीट के जिसके पडौस पूर्व में खाली तलिया, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में शंकर तेली की दुकान, दक्षिण में प्रेमदास वैष्णव की दुकान है, जो कि निगराकार द्वारा नाथू लाल पुत्र श्री देबी लाल जी सुनार से क्रय की गयी व ग्राम पंचायत कोटड़ी के सरपंच द्वारा दिनांक 02.02.1984 को स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया है। जिस पर निगराकार काबिज है। उसी जायदाद दुकान गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 सरपंच व सचिव तत्समय से मिलीभगत कर अपने पक्ष में उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 जो कि निगराकार का पुत्र है तथा वह भीलवाडा में निवास करता है, तथा गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर उक्त दुकान को अपनी पैतृक होना बताकर अपने पक्ष मे तथाकथित पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार

संख्या 01 ने उक्त जायदाद का पट्टा जारी कराने हेतु गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 के पक्ष में आवेदन किया गया, जिसमें किसी प्रकार की जांच पडताल नहीं की गयी। उक्त तथाकथित जायदाद निगराकार की स्वअर्जित सम्पति होकर गैर निगराकार संख्या 01 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। तत्समय के सरपंच व सचिव से मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा संख्या 42 दिनांक 20.07.2004 मिसल पत्रावली संख्या 61/2060 दिनांक 22.06.2004 को निरस्त कराया जावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। सचिव ग्राम पंचायत कोटडी से रिकार्ड तलब किया, लेकिन सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी ने रिकार्ड प्रस्तुत नही किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत बापी पटटा की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रकरण में सुनवायी की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार अधिवक्ता एवं गैर निगराकार सं. 01 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ग्राम पंचायत कोटडी मे निगराकार के स्वामित्व आधिपत्य की एक जायदाद दुकान वाके आबादी हल्का कोटडी में स्थित है, जिसकी नपती 20 बाई 12 फीट के जिसके पडौस पूर्व में खाली तलिया, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में शंकर तेली की दुकान, दक्षिण में प्रेमदास वैष्णव की दुकान है, जो कि निगराकार द्वारा नाथू लाल पुत्र श्री देबी लाल जी सुनार से क्रय की गयी व ग्राम पंचायत कोटड़ी के सरपंच द्वारा दिनांक 02.02.1984 को स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया है। जिस पर निगराकार काबिज है। उसी जायदाद दुकान गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 सरपंच व सचिव तत्समय से मिलीभगत कर अपने पक्ष में उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 जो कि निगराकार का पुत्र है तथा वह भीलवाडा में निवास करता है, तथा गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर उक्त दुकान को अपनी पैतृक होना बताकर अपने पक्ष मे तथाकथित पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त जायदाद का पट्टा जारी कराने हेतु गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 के पक्ष में आवेदन किया गया, जिसमें किसी प्रकार की जांच पडताल नहीं की गयी। उक्त तथाकथित जायदाद निगराकार की स्वअर्जित सम्पति होकर गैर निगराकार संख्या 01 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। ग्राम पंचायत ने उक्त पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 142 से 157 की पालना नही की हैं। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा संख्या 42 दिनांक 20.07.2004 मिसल पत्रावली संख्या 61/2060 दिनांक 22.06.2004 को निरस्त कराया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ग्राम पंचायत कोटडी के यहां आबादी हल्का कोटडी ग्राम पंचायत कोटडी में नपती 20 बाई 12 फीट जिसके पडौस पूर्व में खाली तलिया, पश्चिम में आम सडक, उत्तर में शंकर तेली की दुकान दक्षिण मे प्रेमदास वैष्णव की दुकान के मध्य स्थित उक्त भूखण्ड का पटटा गैर निगराकारान् के पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन किया था। इस आवेदन को

ग्राम पंचायत कोटडी ने स्वीकार कर पटटा बनाने की विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की। विधिक प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत कोटडी ने निर्धारित शुल्क रसीद सं. 3919 दिनांक 16.02.2003 से आवेदन शुल्क 10/–रूपये, नजरी नक्शा शुल्क 25/–रूपये, मौका निरीक्षण शुल्क 25/–रूपये कुल 60 रूपये जमा कर प्रक्रिया प्रारम्भ की और सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 10.12.2003 को मिसल सं. 61 संवत् 2060 से गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी कर दिया एवं रसीद सं. 42 से नजराना शुल्क एवं सहयोग राशि के रूप में 1000/–रूपये प्राप्त कर प्रारूप 30 नियम 230 के तहत उक्त राशि प्राप्त कर पटटा नवीनीकरण किया। गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर पटटा जारी किया गया । निगराकार द्वारा फर्जी तहरीर तैयार कर पेश की गयी, जो ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा उसके सचिव जारी नही की गयी तथा न ही कार्यालय ग्राम पंचायत कोटडी का लेटर हेड हैं। निगराकार को सन् 2003 में ही उक्त पटटे की पूर्ण जानकारी थी। पारिवारिक विवाद के चलते यह निगरानी गलत तथ्यों पर पेश की हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने निगरानी के खण्डन में विधिक दृष्टान्त पेश किये जो क्रमशः 2015(4) डीएनजे (राज.) 1853 हाईकोर्ट, आरआरटी 2015(2)967 हाईकार्ट, डीएनजे (2012)2 –602 हाइकोर्ट जयपुर हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी ने पत्रावली सं. 61/संवत् 2060 में शिवकुमार पिता रामनारायण पारीक निवासी कोटडी के नाम पर 200/–रू. जमा कर दिनांक 22.06.2004 को क्षैत्रफल 20 बाई 12 वर्गफीट का आबादी भूमि का बापी पटटा जारी किया। निगराकार ने निगरानी के साथ उक्त बापी पटटा दिनांक 22.06.2004 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। निगराकार ने निगरानी के समर्थन में अपना कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नही किया एवं निगराकार की स्वअर्जित जायदाद होने संबंधी दस्तावेज भी पेश नही किया एवं निगराकार द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड नाथूलाल पुत्र देवीलाल सुनार से क्रय करने संबंधी दस्तावेज में केवल मात्र डायरी की फोटोप्रति लिखतम पेश की हैं।

निगरानी के साथ प्रस्तुत लिखतम के परीक्षण करने पर नाथूलाल पिता देवीलाल सुनार ने 20 बाई 12 फीट का प्लॉट 550/–रू. में निगराकार को विक्रय करना अंकित किया हैं। 100/–रू. से अधिक के प्रतिफल पर दस्तावेज तरतीब कर पंजीयन नहीं कराया गया। इस प्रकार की लिखतम की कोई विधि मान्यता नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी पट्टा सं. 42 दिनांक 20.07.2004 मिसल सं. 61/संवत् 2060 दिनांक 22.06.2004 के संबंध में निगरानी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कोटडी पंचायत समिति कोटडी को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा